प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
प्रधान पीठ, फरीदकोट हाउस,
कापरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।

पत्रांकः 12 /ख0सहा0–खनन अनुभाग/2024 दिनांकः 19 मार्च, 2024

विषयः– **Notice of hearing in Suo Motu matter in re: News item appearing in Amar Ujala dated 15-02-2024 Titled "Baghpat News: काठा में मिट्टी खनन को लेकर हंगामा।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 न्यायाधिकरण के पत्र दिनांक 11.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत दैनिक समाचार–पत्र अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक **"काठा में मिट्टी खनन को लेकर हंगामा"** के संबंध में मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत ओ0ए0 संख्या–307/2024 के संबंध में दिनांक 02.04.2024 को आख्या सहित मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रकरण के संबंध में सादर अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जॉच AEE, UPPCB, Meerut, खान निरीक्षक बागपत, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक(सर्वे) ग्राम काठा, क्षेत्रीय लेखपाल (सर्वे) ग्राम काठा से करायी गयी। जिनके द्वारा प्रकरण के संबंध में दिनांक 15.03.2024 (संलग्नक–1) को जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें उल्लिखित है कि–

01– जॉच में पाया गया कि जनपद–बागपत की तहसील–खेकडा के ग्राम काठा में साधारण मिट्टी खनन/परिवहन हेतु खनन अनुज्ञा संख्या NOC/OE/2023/12/14/294447 दिनांक 20.02.2024 (संलग्नक–2) को शर्तो के अधीन दिनांक 20.02.2024 से 19.05.2024 तक के लिए राजश्यामा कंसट्रक्शन प्रा0लि0 के पक्ष में गाटा संख्या 2274, गाटा संख्या 2272, गाटा संख्या 2276अ, गाटा संख्या 2276, गाटा संख्या 2273मि.,गाटा संख्या 2273ब कुल क्षेत्रफल 2.9710 है0 में से मात्रा 17990 घनमीटर साधारण मिट्टी हेतु स्वीकृत है।

02– उपरोक्त गाटा नम्बरान से साधारण मिट्टी का खनन राजश्यामा कंसट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा अनुज्ञा शर्तो के अधीन किया जा रहा है। जॉच में किसी भी प्रकार का अवैध मिट्टी खनन/परिवहन ग्राम काठा में किया जाना नही पाया गया है। जॉच आख्या के साथ नजरी नक्शा/फोटोग्राफ्स संलग्न किया गया है।

..........क्रमशः 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मै0 राजश्यामा कंसट्रशनस प्रा0लि0 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र संख्या NHAI/BM/Delhi-Saharanpur-Greenfield/Pkg-I/2020/2019दिनांक 24.12.2021 **(संलग्नक–3)** द्वारा दिल्ली–सहारनपुर–देहरादून इकोनोमिक कोरीडोर में आवंटित भाग का निर्माण किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य में मिट्टी भराव के संबंध में मै0 राजश्यामा कंसट्रक्शन प्रा0लि0 को खनन अनुज्ञा संख्या NOC/OE/2023/12/14/294447 दिनांक 20.02.2024 को शर्तो के अधीन उपजिलाधिकारी खेकडा की आख्या दिनांक 05.02.2024**(संलग्नक–4)** व खान निरीक्षक बागपत की आख्या दिनांक 17.02.2024**(संलग्नक–5)** के आधार पर प्रदान की गयी है।

महोदय उपर्युक्त प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नोटिस दिनांक 11.03.2024 के कम में अद्यतन अनुपालन आख्या कृपया अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः यथौपरि।

भवदीय,

17/3/24

(पंकज वर्मा)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
बागपत।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–01–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री मुकेश वर्मा, स्थायी अधिवक्ता मा0 एन0जी0टी0 को अपने स्तर से भी उपरोक्त प्रकरण में प्रभावी पैरवी के संबंध में निर्देशित करने का कष्ट करें।

02–जिलाधिकारी महोदय बागपत को सादर अवलोनार्थ।

03–श्री मुकेश वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत ओ0सं0 307/2024 में प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।

04–खान निरीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
बागपत।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 1

मरद्या ! 04 / M.C. / 18-3-2024

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
बागपत।

महोदय,

जॉच आख्या

सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण पीठ नई दिल्ली के नोटिस दिनांक 11.03.2024 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजि Originonal Application No. 307/2024 में समाचार पत्र **"अमर उजाला"** में दिनांक 15.02.2024 में प्रकाशित खबर शीर्षक काठा में मिटटी खनन को लेकर हंगामा के संबंध में जिलाधिकारी, बागपत के पत्र संख्या 9872 / एसटी-कैम्प-53 / 2024 दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन में आपके पत्र संख्या 428 / एसटीएफ / 2024 दिनांक 15.03.2024 के क्रम में दिनांक 15.03.2024 को जनपद-बागपत की तहसील-खेकडा के ग्राम-काठा में मिट्टी खनन संबंधी जॉच की गई। प्रकरण में जॉच आख्या निम्नवत है:-

01- जॉच में पाया गया कि जनपद-बागपत की तहसील खेकडा के ग्राम काठा में साधारण मिट्टी खनन / परिवहन हेतु खनन अनुज्ञा संख्या NOC/OE/2023/12/14/294447 दिनांक 20.02.2024 को शर्तो के अधीन दिनांक 20.02.2024 से 19.05.2024 तक के लिए राजश्यामा कंसट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के पक्ष में गाटा संख्या 2274, गाटा संख्या 2272, गाटा संख्या 2276अ, गाटा संख्या 2276, गाटा संख्या 2273मि.,गाटा संख्या 2273ब कुल क्षेत्रफल 2.9710 है0 में से मात्रा 17990 घनमीटर साधारण मिट्टी हेतु स्वीकृत है।

02- उपरोक्त गाटा नम्बरान से साधारण मिट्टी का खनन राजश्यामा कंसट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा अनुज्ञा शर्तो के अधीन किया जा रहा है। जॉच में किसी भी प्रकार का अवैध मिट्टी खनन / परिवहन ग्राम काठा में किया जाना नही पाया गया है।

अतः प्रकरण के संबंध में जॉच आख्या उपरोक्तानुसार नजरी नक्शा / फोटोग्राफ सहित सादर प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय लेखपाल(सर्वे)
ग्राम-काठा।
गोपीनाथ सिंह
सर्वे लेखपाल

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक(सर्वे)
ग्राम काठा।
नन्द किशोर
सर्वे कानूनगो

(हस्ताक्षर)
खान निरीक्षक
बागपत।

(हस्ताक्षर)
AEE.
UPPCB, Meerut

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा नजरी

ग्राम – भाठ

खसरा नं० – 2276

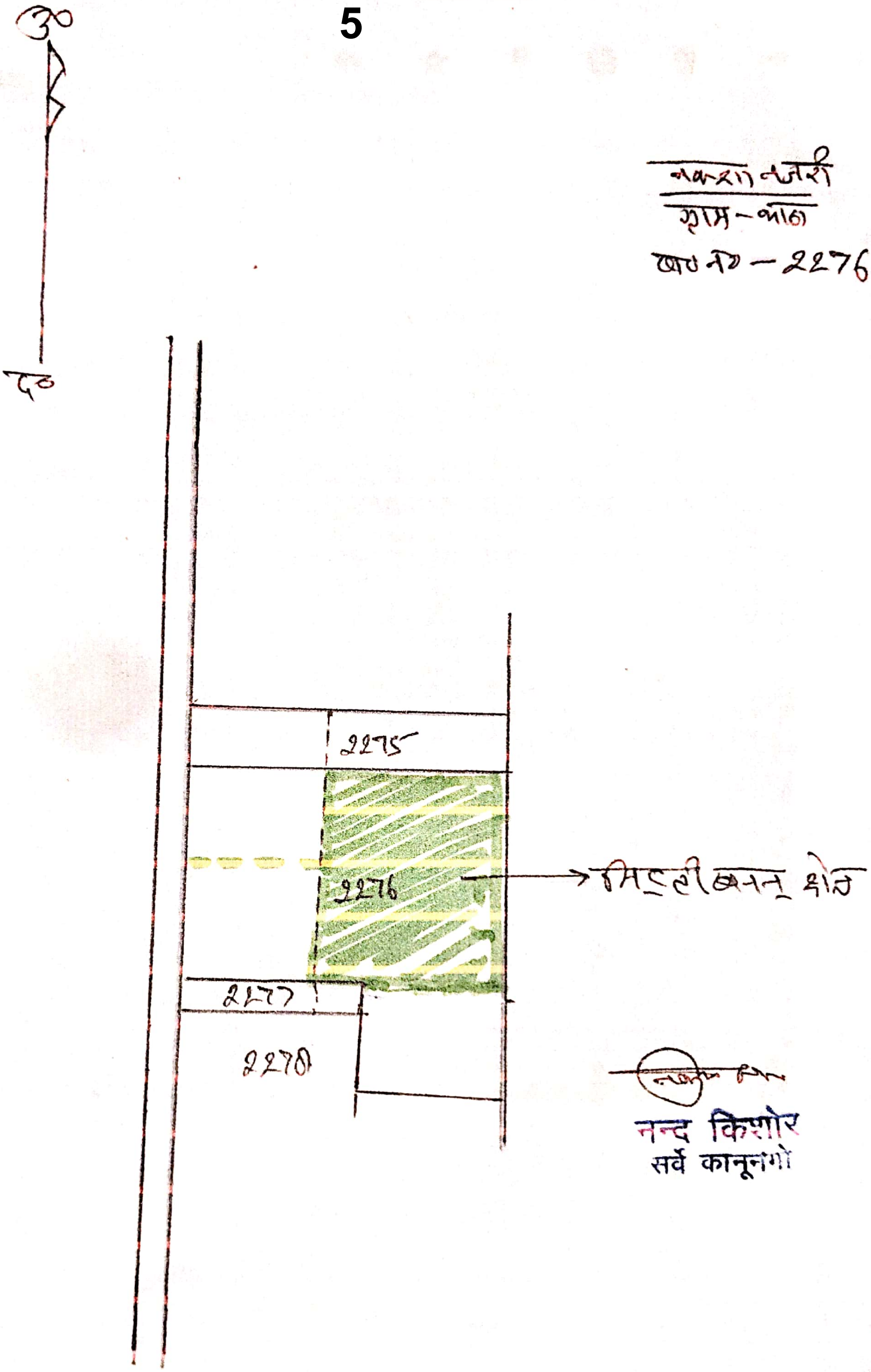

नन्द किशोर
सर्वे कानूनगो

Scanned with OKEN Scanner

You
today at 1:04 pm

2 of 7

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 2

(116)

कार्यालय जिलाधिकारी, Baghpat

(खनन-अनुभाग)

साधारण मिट्टी की निकासी हेतु अनुज्ञा पत्र

MINE MITRA

संख्या: NOC/OE/2023/12/14/294447

दिनाँक: 20-02-2024

आवेदक एवं अवधि

आवेदक का नाम	Raj Shyama Constructions Pvt Ltd	आवेदक का पता	D 33 RDC RAJ NAGAR GHAZIABAD 201002
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 20-02-2024 से 19-05-2024 तक	खनन का प्रयोजन	

खनन के लिए अनुज्ञा प्राप्त उपखनिज का विवरण

नाम	मात्रा
Ordinary Soil	17990.00 घन मी०
कुल	17990.00 घन मी०

साधारण मिट्टी के खनन हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम / नगर	गाटा संख्या/खण्ड संख्या/प्लॉट संख्या	रकबा(हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम
Baghpat	Khekada	काठा - 119502	2274	0.1370	रणधीर,महाराज सिंह,सतपाल,
Baghpat	Khekada	काठा - 119502	2272	1.8860	रणधीर,महाराज सिंह,सतपाल,
Baghpat	Khekada	काठा - 119502	2277	0.0580	रणधीर,महाराज सिंह,सतपाल,
Baghpat	Khekada	काठा - 119502	2276अ	0.4750	इकबाल दत्तक पुत्र,
Baghpat	Khekada	काठा - 119502	2276	0.4750	इकबाल दत्तक पुत्र,इकबाल दत्तक पुत्र,
Baghpat	Khekada	काठा - 119502	2273मि	0.0780	इकबाल दत्तक पुत्र,
Baghpat	Khekada	काठा - 119502	2273अ	0.1970	इकबाल दत्तक पुत्र,

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

Digitally signed by JITENDRA PRATAP SINGH
Date: 2024.02.20 19:59:20
Baghpat
District Magistrate

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नक-1

सहमति पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

1. (1) अनुज्ञाधारक निकासी मार्ग का रख रखाव स्वयं करेगा।
2. (2) मिट्टी निकासी अधिकतम 1.00 मी0 की गहराई तक ही किया जायेगा। साधारण मिट्टी का खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा तथा साधारण मिट्टी का परिवहन ई0एम0एम0-11 के माध्यम से ही किया जायेगा।
3. (3) आवेदनकर्ता ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति व पड़ोसी खेत के कृषक को कोई बाधा न पड़े और पेड़-पौधा को उसे कोई क्षति न पहुँचे।
4. (4) खनिज निकासी इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू-भाग अथवा व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुँचे और यदि क्षति होती है, तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
5. (5) यदि निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी एवम् तत्काल निकासी रोक दिया जायेगा।
6. (6) यदि आवेदनकर्ता द्वारा दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न कर शर्तों का उल्लंघन करता है, तो खनिज निकासी आदेश पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
7. (7) खनन स्थल व उसके आस-पास के कच्चे रास्तों पर पानी के छिड़काव एवं डस्ट प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था की जायेगी एवं मिट्टी का परिवहन ढक कर किया जायेगा, जिससे वायु प्रदूषण नियन्त्रित किया जा सके।
8. (8) हाई टेंशन लाईन/टॉवर/खम्भों से 50मी0 छोड़कर ही मिट्टी उठाई जायेगी।
9. (9) भूमि की सतह से छः से 09 इंच तक गहराई की टाप स्वायल को एकत्रित कर रखा जायेगा। क्षेत्र से मिट्टी निकाले जाने के उपरान्त एकत्रित सतही मिट्टी को उसी क्षेत्र में फैला दिया जायेगा।
10. (10) कोई भी वाद-विवाद स्वयं व खेत मालिक आपस में सुलझायेंगे।
11. (11) खनन की गयी मिट्टी का उपयोग किसी भी दशा में प्रश्नगत सरकारी कार्य के अतिरिक्त विक्रय अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा।
12. (12) मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एवं शासन द्वारा जारी आदेशों का पालन करना होगा।
13. (13) खनन कार्य गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा डाली गयी उच्च दबाव गैस पाईप लाईन से दोनों तरफ 20 मीटर से अधिक की दूरी छोड़कर ही किया जायेगा।
14. (14) समय समय पर पर्यावरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्रेप कमेटी द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अन्तर्गत ही खनन कार्य किया जायेगा।
15.
16.
17.
18.

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-3

90

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074200
फैक्स / Fax : 91-11 25093507 / 25093514

Original

NHAI/BM/Delhi-Saharanpur-Greenfield/Pkg-I/2020/2019 Dated: 24.12.2021

To,

M/s Raj Shyama Constructions Pvt. Ltd
49, Ring Road Lajpat Nagar-III
New Delhi-110024
Email id: rajshyama.gzb@gmail.com

Kind attention: Sh. Gaurav Tyagi, Director

Sub: Development of six lane access control greenfield highway of Delhi-Saharanpur-Dehradun economic corridor under Bharatmala Pariyojana from Junction of EPE (near Khekra) Design Chainage 0+000 to Design Chainage 27+000 (Vill.-Lohadda) in the state of Uttar Pradesh on EPC Mode (Package-I) - **Letter of Acceptance (LOA) -Reg.**

Reference: Your bid for the subject work with bid due date 22.11.2021

Sir

This is notify you that your bid dated 22.11.2021 for execution of the Development of six lane access control greenfield highway of Delhi-Saharanpur-Dehradun economic corridor under Bharatmala Pariyojana from Junction of EPE (near Khekra) Design Chainage 0+000 to Design Chainage 27+000 (Vill.-Lohadda) in the state of Uttar Pradesh on EPC Mode (Package-I), at your quoted bid price amounting to **Rs. 464,00,00,000/- (Rupees Four Hundred Sixty Four Crore Only)** has been determined to be the lowest evaluated bid and is substantially responsive and has been accepted.

1. You are requested to return a duplicate of the LOA as an acknowledgement and sign the Contact Agreement within the period prescribed in Clause 1.3 of the RFP.

2. You are also requested to furnish Performance Security for an amount of **Rs. 13.92 crore (Rupees Thirteen Crore ninety two Lakhs Only)** and Additional Performance Security for an amount of **Rs. 13.92 crore (Rupees Thirteen Crore ninety two Lakhs Only)** as per Clause 2.21 of the RFP within 30(thirty) days of receipt of this Letter of Acceptance (LOA). In case of delay in submission of Performance Security and Additional Performance Security you may seek extension of time for a period not exceeding 60 (Sixty) days on payment of Damages in accordance with Clause 2.21 of RFP.

Scanned with OKEN Scanner

89

3. In case of failure of submission of Performance Security, Additional Performance Security and Security against Damages (if any) within the additional 60(Sixty) days' time period, the award shall suspended from participation in the tendering process for the works of MoRTH/NHAI/NHIDCL and works under other Centrally Sponsored Schemes, for a period of one year from the bid due date of this work.

Yours sincerely

(Ravinder)
General Manager (Tech)
Bharatmala

Copy to:

1. RO UP(West), NHAI
2. PIU Baghpat, NHAI

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक – 4

13

ग्राम – काठा, तहसील बड़ौत, जिला – बागपत   आवेदन संख्या 2023/15/14 [illegible]

क्रम संख्या	जाँच किये जाने हेतु आवश्यक बिन्दु		जाँच आख्या का स्पष्ट विवरण
1.	आवेदन पत्र का सम्पूर्ण विवरण	आवेदन कर्ता का ग्राम पते का विवरण अंकित किया जाये।	राजश्यामा कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० D 33 RDC राजनगर गाजियाबाद 201002 अधिकृत प्रतिनिधि मनोज शाह
		साधारण मिट्टी खनन की मात्रा (घन मीटर में) अंकित की जाये।	ख०सं० 2272, 2273, 2274, 2275, 2276 में कुल मात्रा 17790 घन मी०
		मिट्टी खनन करने का प्रयोजन स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।	दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरीडोर के निर्माण हेतु
		खनन स्थल का पूर्ण विवरण खसरा नम्बर / रकबा सहित एवं जिस खसरा नम्बरान में मिट्टी खनन किया जाना है उसमे आवेदक का कितना हिस्सा है स्पष्ट रूप में अंकित किया जाये।	2274/0.1570, 2273/1.8860, 2276/0.4750, 2276/0.1980, 2273/0.0781, 2273/0.1980 आवेदक का हिस्सा – शून्य
2.	प्रश्नगत भूमि में सहखातेदार है अथवा नहीं यदि है तो मिट्टी खनन निकालने के लिए सभी खातेदारों की लिखित सहमति उपलब्ध करायी जाये।		सभी सहखातेदारों का सहमति पत्र पत्रावली पर संलग्न है।
3.	प्रश्नगत खसरा नम्बरान आपस में मिले हुए हैं अथवा नहीं तथा प्रश्नगत खसरा नम्बरान के कितने भाग से मिट्टी उठायी जायेगी उसकी चारो दिशायें स्पष्ट रूप से अंकित करें।		समीपवर्ती नम्बरान आपस में मिले हुए है। 2272 – उ० 80मी० द० 100 मी० पू० 154 मी० प० 136मी०, 2273 – उ० 38मी० द० 42मी० पू० 34मी० प० 34मी०, 2274 – उ० 42मी० द० 42मी० पू० 18मी० प० 20मी०, 2275 – उ० 43मी० द० 46मी० पू० 22मी० प० 24मी०, 2276 – उ० 46मी० द० 54मी० पू० 56मी० प० 48मी०
4.	प्रश्नगत भूमि के जिस भाग से मिट्टी उठायी जायेगी उससे किसी सरकारी सम्पत्ति को कोई क्षति तो नहीं होगी।		नहीं होगी।
5.	प्रश्नगत भूमि के आस-पास के किसानों को मिट्टी उठाने से कोई क्षति तो नहीं है।		नहीं होगी।
6.	मिट्टी निकासी करने वाली जगह की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई कुल कितने घन मीटर मिट्टी निकासी की जायेगी नजरी नक्शे के साथ प्रस्तुत की जाये।		2272 ख०सं० 130×94×1=12220, ख०सं० 2273 – 40×34×1=1360, 2274 " " 42×19×1=798, " 2275 – 44×23×1=1012, 2276 – 52×50×1=2600, कुल 17990 घन मी०
7.	सम्बन्धित खसरा नम्बरान किसी हाइवे / मुख्य मार्ग से कितनी दूरी पर है।		दिल्ली-यमुनोत्री हाइवे 2 KM, प्रस्तावित नवीन हाइवे से 100 मी० से अधिक दूरी पर
8.	प्रश्नगत भूमि क्या ग्रामीण सड़क से 10 मीटर व नहर से 50 मीटर सुरक्षित दूरी पर है।		ग्रामीण सड़क से 10 मी० से अधिक की दूरी पर है। लेकिन नहर से सभी नम्बर लगे है। मिट्टी खनन हेतु 50 मी० नहर से छोड़कर लिया जाना है।
9.	उक्त खसरा नम्बरान में साधारण बालू अथवा अन्य कोई उपखनिज तो उपलब्ध नहीं है यदि उपलब्ध है तो उसकी स्थिति स्पष्ट की जाये।		नहीं है।
10.	प्रश्नगत खसरा नम्बरान के आस-पास कोई वन विभाग की भूमि है अथवा नहीं यदि है तो सम्बन्धित खसरा नम्बरान से कितनी दूरी पर है।		नहीं है।
11.	क्या आवेदित खसरा नम्बरानों में पूर्व में साधारण मिट्टी खनन हुआ है अथवा नहीं स्पष्ट आख्या दी जाये।		पूर्व में मिट्टी खनन नहीं हुआ है।
12.	प्रश्नगत खसरा नम्बरानों से साधारण मिट्टी खनन की अनुमति हेतु स्पष्ट मन्तव्य / संस्तुति सहित जाँच आख्या उपलब्ध करायी जाये।		आख्या सादर प्रेषित [signature] 19.1.024 गोपीनाथ सिंह

शिजरे की प्रति संलग्न है।

महोदय, सर्वे लेखपाल सर्वे लेखपाल आख्या सादर प्रेषित।
[signature] 19/1/024
नन्द किशोर
सर्वे कानूनगो

[signature]
तहसीलदार
बड़ौत (बागपत)

[signature]
उपजिलाधिकारी
बड़ौत

[signature] 13/6/12 15/2/24

संलग्नक-5

जिलाधिकारी, बागपत।

महोदय,

कृपया अवगत कराना हैं कि RAJSHYAMA CONSTRUCTIONS PVT LTD D 33 RDC RAJNAGAR GHAZIABAD द्वारा upminemitra.in पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 294447 दिनांक 14.12.2023 प्रस्तुत कर, कृषि भूमि स्थित मौजा/ग्राम काठा, तहसील–खेकडा, जनपद बागपत के खसरा संख्या 2274, 2272, 2276अ, 2276, 2273मि. व 2273ब रकबा 2.9710 है0 में से 49590 घनमीटर साधारण मिट्टी उठाने की अनुमति चाही गयी है।

इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, बागपत द्वारा पोर्टल पर अपनी आख्या दिनांक 05.02.2024/19.01.2024 को अपलोड की गयी है जो कि निम्न हैं:–

क0सं0	जॉच किये जाने हेतु आवश्यक बिन्दु		जॉच आख्या का स्पष्ट विवरण
01	आवेदन पत्र का सम्पूर्ण विवरण	आवेदनकर्ता का पूरा नाम, पते का विवरण अंकित किया जाये।	RAJSHYAMA CONSTRUCTIONS PVT LTD D 33 RDC RAJNAGAR GHAZIABAD
		साधारण मिट्टी खनन की मात्रा (घनमीटर में) अंकित की जाये।	2274, 2272, 2276अ, 2276, 2273मि. व 2273ब
		मिट्टी खनन करने का प्रयोजन स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।	दिल्ली–देहरादून इकोनोमिक कोरीडोर के निर्माण हेतु
		खनन स्थल का पूर्ण विवरण खसरा नम्बर/रकबा सहित एवं जिस खसरा नम्बरान में मिट्टी खनन किया जाना है उसमें आवेदन का कितना हिस्सा है स्पष्ट रूप सें अंकित किया जाये।	2274/0.1370, 2272/1.8860, 2276/0.4750, 2276/0.1980, 2273/0.0780, 2273/0.1970 आवेदक का हिस्सा शून्य
02	प्रश्नगत भूमि में सहखातेदार है अथवा नही। यदि है तो मिट्टी निकालने के लिए सभी खातेदारो की लिखित सहमति उपलब्ध करायी जाये।		सभी खातेदारो का सहमति पत्र संलग्न है।
03	प्रश्नगत खसरा नम्बरान आपस में मिले हुए है अथवा नही तथा प्रश्नगत खसरा नम्बरान के कितने भाग से मिट्टी उठायी जायेगी उसकी चारो दिशाएं स्पष्ट रूप से अंकित करें।		सभी खसरा नम्बर आपस में मिले हुए है।
04	प्रश्नगत भूमि के जिस भाग से मिट्टी उठायी जायेगी, उससे किसी सरकारी सम्पत्ति को कोई क्षति तो नही होगी।		नही होगी
05	प्रश्नगत भूमि के आस–पास के किसानों को मिट्टी निकासी से कोई क्षति तो नही है।		नही होगी
06	मिट्टी निकासी करने वाली जगह की लम्बाई, चौडाई एवं गहराई कुल कितने घनमीटर मिट्टी निकासी की जायेगी। नजरी नक्शे के साथ प्रस्तुत की जाये।		17990 घनमीटर
07	सम्बन्धित खसरा नम्बरान किसी हाईवे/मुख्य मार्ग से कितनी दूरी पर है।		दिल्ली–सहारनपुर हाईवे 2 किमी, प्रस्तावित नवीन हाइवे से 100 मीटर से अधिक दूरी पर है।
08	प्रश्नगत भूमि ग्रामीण सडक से क्या 10 मीटर व नहर से 50 मीटर सुरक्षित दूरी पर है।		ग्रामीण सडक से 10 मीटर से अधिक की दूरी पर है लेकिन नहर से सभी खसरा नम्बर सटे है मिट्टी खनन हेतु 50 मीटर से छोडकर दिया गया है।
09	उक्त खसरा नम्बरान में साधारण बालू अथवा अन्य कोई उपखनिज तो उपलब्ध नही है यदि उपलब्ध है तो उसकी स्थिति स्पष्ट की जाये।		नही है।
10	प्रश्नगत खसरा नम्बरानो के आस–पास कोई वन विभाग की भूमि है अथवा नही, यदि है तो सम्बन्धित खसरा नम्बरानो से कितनी दूरी पर है।		नही है।
11	क्या आवेदित खसरा नम्बरानों में पूर्व में साधारण मिट्टी का खनन हुआ है अथवा नही। स्पष्ट आख्या दी जाये।		पूर्व में मिट्टी खनन नही हुआ है।
12	प्रश्नगत खसरा नम्बरानों से साधारण मिट्टी खनन की अनुमति हेतु स्पष्ट मन्तव्य/संस्तुति सहित जॉच आख्या उपलब्ध कराया जाये।		उपजिलाधिकारी/तहसीलदार खेकडा द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में मिट्टी खनन हेतु आख्या प्रेषित की है।

उक्त के सम्बन्ध में स्थलीय व अभिलेखीय निरीक्षण उपरान्त आख्या निम्नवत् है:–

1– महाप्रबन्धक, एन0एच0ए0आई0, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्रांक NHAI/BM/Delhi-Saharanpur-Greenfield/Pkg-I/2020/2019 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा Development of six lane access control greenfield highway of Delhi-Saharanpur-Dehradun economic corridor under Bharatmala Pariyojana from Design Chainage 27+000 to(Vill.-Lohadda) in the state of Uttar Pradesh (Package-I) in EPC Mode. का कार्य आदेश मैसर्स M/S RAJSHYAMA CONSTRUCTIONS PVT LTD 49, Ring Road Lajpat Nagar-III New Delhi को प्रदान किया गया है तथा RAJSHYAMA CONSTRUCTIONS PVT LTD D 33 RDC RAJNAGAR GHAZIABAD द्वारा upminemitra.in पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति चाही गयी है।

2– पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के बिन्दु 5 के अनुसार सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में मिट्टी खनन हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 35(1) में अध्याय 6 के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व आवेदक, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से खनन योजना तैयार व उसका अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

3— शासनादेश संख्या 1542/86—2020—153(सा0)/2017 दिनांक 18—09—2020 तथा तत्क्रम में जारी शासनादेश 2041/यम—228/2017(खनन नीति)(पॉच) दिनांक 23.01.2021 व शासनादेश संख्या 306/एम—228/2017 (खनन नीति)(छः) दिनांक 20.07.2021 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र निर्गत होने के उपरान्त साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई0एम0 एम0—11 जनरेशन की कार्यवाही निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लॉन—लाईन पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

4— उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 641/86—2018—153(सा0)/2017 दिनांक 23 मार्च 18 के अनुसार साधारण मिट्टी की रायल्टी दर शून्य कर दी गयी है जिसके अनुसार रायल्टी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

5— भूमि, उपखनिज, निकासी हेतु मात्रा व अवधि का विवरण निम्न है—

01	भूमि का विवरण	आवेदक कम्पनी द्वारा कृषि भूमि स्थित मौजा/ग्राम काठा के खसरा संख्या 2274, 2272, 2276अ, 2276, 2273मि. व 2273ब रकबा 2.9710 है0 में से 49590 घनमीटर साधारण मिट्टी उठाने की अनुमति चाही गयी है। जिसमें खनन कार्य किया जायेगा।
02	उपखनिज की प्रकृति	साधारण मिट्टी
03	निकासी हेतु उपखनिज की मात्रा, अवधि व रायल्टी	उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, खेकडा की आख्या दिनांक 05.02.2024/19.01.2024 के द्वारा मौजा/ग्राम काठा, तहसील खेकडा के खसरा संख्या 2274/0.1370, 2272/1.8860, 2276/0.4750, 2276/0.1980, 2273/0.0780, 2273/0.1970 कुल रकबा 2.9710 है0 में से 17990 घनमीटर साधारण मिट्टी उठाने की आख्या के क्रम में उक्त खसरा नम्बर से चकरोड छोडकर, पडौसियों की मेड, सरकारी नाली, सरकारी चकरोड को छोडकर 17990 **घनमीटर साधारण मिट्टी उठाने की अनुमति** प्रदान की जा सकती है। साधारण मिट्टी की निकासी की अवधि तीन माह या अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत मिट्टी की मात्रा या दोनों में से जो पहले घटित हो। वर्तमान में मिट्टी की रायल्टी दर शून्य है।
04	साधारण मिट्टी का खनन कार्य	आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी होने से पूर्व नियमानुसार अनुमोदित खनन योजना प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा तथा खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा।
05	टिप्पणी	नहर से 50 मी0 एवं चकरोड/ग्रामीण सड़क से 10 मी0, पडौसी खेत से 02 मी0 की सुरक्षित दूरी छोडकर अधिकतम 1.0 मी0 की गहराई तक मिट्टी की निकासी का कार्य किया जायेगा।

06 आवेदनकर्ता द्वारा निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:—

(1) अनुज्ञाधारक निकासी मार्ग का रख रखाव स्वयं करेगा।

(2) मिट्टी निकासी का कार्य नहर से 50 मी0 एवं चकरोड/ग्रामीण सड़क से 10 मी0, पडौसी खेत से 02 मी0 की सुरक्षित दूरी छोडकर अधिकतम 1.0 मी0 की गहराई तक किया जायेगा। साधारण मिट्टी का खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा तथा साधारण मिट्टी का परिवहन ई0एम0एम0—11 के माध्यम से ही किया जायेगा।

(3) आवेदनकर्ता ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सडक, सार्वजनिक मार्ग, भू—गृहादि, सार्वजनिक भू—स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति व पडौसी खेत के कृषक को कोई बाधा न पडे और पेड—पौधा को उसे कोई क्षति न पहुॅचे।

(4) खनिज निकासी इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू—भाग अथवा व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुॅचे और यदि क्षति होती है, तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।

(5) यदि निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी एवम् तत्काल निकासी रोक दिया जायेगा।

(6) यदि आवेदनकर्ता द्वारा दी गई शर्तो के अनुरूप कार्य न कर शर्तो का उल्लधंन करता है, तो खनिज निकासी आदेश पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) खनन स्थल व उसके आस—पास के कच्चे रास्तों पर पानी के छिड़काव एवं डस्ट प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था की जायेगी एवं मिट्टी का परिवहन ढक कर किया जायेगा, जिससे वायु प्रदूषण नियन्त्रित किया जा सकें।

(8) हाई टेंशन लाईन/टॉवर/खम्बों से 50मी0 छोडकर ही मिट्टी उठाई जायेंगी।

(9) भूमि की सतह से छः से 09 इंच तक गहराई की टाप स्वायल को एकत्रित कर रखा जायेगा। क्षेत्र से मिट्टी निकाले जाने के उपरान्त एकत्रित सतही मिट्टी को उसी क्षेत्र में फैला दिया जायेगा।

(10) कोई भी वाद—विवाद स्वयं व खेत मालिक आपस में सुलझायेगें।

(11) खनन की गयी मिट्टी का उपयोग किसी भी दशा में प्रश्नगत सरकारी कार्य के अतिरिक्त बिक्री अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा।

(12) मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एवं शासन द्वारा जारी आदेशों का पालन करना होगा।

(13) खनन कार्य गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा डाली गयी उच्च दवाब गैस पाईप लाईन से दोनों तरफ 20 मीटर से अधिक की दूरी छोड़कर ही किया जायेगा।

(14) समय—समय पर पर्यावरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए GRAP कमेटी द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अन्तर्गत ही खनन कार्य किया जायेगा।

M/s RAJSHYAMA CONSTRUCTIONS PVT LTD D 33 RDC RAJNAGAR GHAZIABAD की ओर से दिनांक 23.01.2024 **को पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लिखित किया गया कि यदि किसी भूस्वामी द्वारा सीधे तौर पर राजश्यामा कंस्ट्रक्शन के सापेक्ष मिट्टी लिये जाने के दौरान कोई असहमति जताई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी राजश्यामा कंस्ट्रक्शन की होगी।**

उक्त वर्णित शर्तो के अधीन आवेदित मिट्टी की मात्रा समाप्त होने या अनुज्ञप्ति की अवधि या दोनों में से जो पहले घटित हो की अवधि के लिये मिट्टी उठाने की संस्तुति की जाती है।

(अनुज कुमार)
खान निरीक्षक,
बागपत।

Scanned with OKEN Scanner